मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्वच्छ भारत मिशन की "राज्य स्तरीय उच्चाधिकार समिति" की अष्टम बैठक दिनांक 11.11.2020 का कार्यवृत्त।

उपस्थितिः–उपस्थित सदस्यों/अधिकारियों की सूची संलग्न है।

बैठक के आरम्भ में नगर विकास विभाग द्वारा प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन की प्रगति के संबंध में मा0 समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया। यह अवगत कराया गया कि मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप प्रदेश में व्यक्तिगत शौचालयों के मद में कुल लक्षित 887906 शौचालयों के सापेक्ष कुल 891052 व्यक्तिगत शौचालय पूर्ण किये गये हैं। योजनान्तर्गत कुल 66383 सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय पूर्ण किये गये हैं। प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय प्रमाणित ओ.डी.एफ. (ODF) हैं एवं 413 निकाय ओ.डी.एफ. प्लस (ODF+) प्रमाणित हो चुके हैं। कोविड–19 के दृष्टिगत थर्ड पार्टी फील्ड निरीक्षण का कार्य प्रभावित होने के कारण उपरोक्त 413 प्रमाणित ओ.डी.एफ. प्लस (ODF+) निकायों के अतिरिक्त अन्य निकायों का ओ.डी.एफ. प्लस (ODF+) प्रमाणीकरण आगामी छः माह में करा लिया जाएगा। अद्यतन ओ.डी.एफ. प्लस प्लस (ODF++) प्रमाणित 17 नगरीय निकाय हैं। फीकल स्लज मैनेजमेन्ट की व्यवस्था के आधार पर ही ओ.डी.एफ. प्लस प्लस (ODF++) प्रमाणीकरण निर्भर है। प्रदेश में फीकल स्लज प्रबन्धन के लिए कार्य किया जा रहा है। अग्रेतर प्रस्तुतीकरण में समिति द्वारा सप्तम बैठक में लिये गये निर्णय/अनुपालन व तदक्रम में प्रस्तुत की गयी प्रगति की स्थिति को संज्ञान में लिया गया।

मा0 समिति द्वारा प्रगति विवरण की समीक्षा के उपरान्त निम्न निर्देश दिये गये :–

- निकायों में विद्यमान सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों की क्रियाशीलता के विषयगत विभाग द्वारा सम्यक रूप से समीक्षा करते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि निर्मित किये गये शौचालय भलीभांति क्रियाशील रहें और जनउपयोगिता के लिए सुलभ रूप से चालू हालत में उनका रख रखाव निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जाये।
- निकायों हेतु मिशन के घटकों से संबंधित लक्ष्य का मासिक रूप से निर्धारण किया जाये और यह अनुश्रवण किया जाये कि मासिक लक्ष्य के अनुरूप सभी निकाय ओडीएफ प्लस (ODF+) तथा अग्रेतर ओडीएफ प्लस प्लस (ODF++) होने हेतु प्रयासरत रहे।
- मिशन अन्तर्गत निकाय को अवमुक्त धनराशि की उपयोगिता के विषयगत भी सतत रूप से समीक्षा की जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि समय से अवमुक्त धनराशि का उपयोग भलीभांति सुनिश्चित हो।

नवीन प्रस्ताव से संबंधित एजेण्डा बिन्दु –1 (नवसृजित निकायों व सीमा विस्तारित निकाय क्षेत्र में मिशन के घटकों से संबंधित कार्यों का वित्त पोषण)

विभाग द्वारा यह अवगत कराया गया कि विगत समय में राज्य में कुल लगभग 56 नये नगरीय निकायों का गठन किया गया है एवं अनेक निकायों के भौगोलिक क्षेत्र का सीमा विस्तार किया गया है। उपरोक्त निकायों में 30 अक्टूबर के पश्चात् विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व नगर विकास विभाग का है एवं उपरोक्त के दृष्टिगत प्रदेश में सृजित उपरोक्तानुसार नवीन निकायों व विस्तारित क्षेत्र के निकायों में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के लक्ष्य एवं उद्देश्य के अनुरूप कार्य किये जाने हेतु स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत मार्ग–दार्शिका के अनुरूप कार्यों/परियोजनाओं की वित्त पोषण किये जाने के प्रस्ताव पर मा0 समिति की सैद्धान्तिक सहमति वांछित है।

निर्णय :– यह निर्देशित किया गया कि उपरोक्त विषयगत स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की मार्ग–दार्शिका के अनुरूप परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित निकायों के प्रस्ताव यथाशीघ्र प्राप्त कर योजना की मार्ग–दार्शिका के अनुरूप विभाग

द्वारा कार्य योजना निरूपित करते हुए तद्नुसार वित्त पोषण किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये और उपरोक्त विषयगत कराये जाने वाले कार्य तथा उक्त के वित्तीय आँकलन संबंधित कार्यवाही यथासम्भव आगामी एक माह में पूर्ण करते हुए कार्य यथाशीघ्र नियमानुसार सुनिश्चित कराया जाय।

नवीन प्रस्ताव से संबंधित एजेण्डा बिन्दु–2 (लिगेसी वेस्ट रेमेडिएशन हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करना)

मा0 समिति के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि न केवल मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ.ए. संख्या 606/2018 में अपने पारित आदेश दिनांक 10.01.2020 में इस आशय के निर्देश दिये गये हैं कि निकायों में विद्यमान लिगेसी वेस्ट के ट्रीटमेंट का कार्य तत्काल आरंभ किया जाये बल्कि केंद्र सरकार द्वारा भी स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत वित्त पोषण के विषयगत अपने परिपत्र संख्याः–15/16/SBM-I दिनाँक 27.10.2020 के माध्यम से एक एक्शन प्लान निर्धारित प्रारूप पर लिगेसी वेस्ट के विषयगत मांगा गया है। मा0 एन0जी0टी0 के उपरोक्त आदेश के क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैंः–

....."Likewise, remediation of legacy dumps sites has not even been initiated as directed by this Tribunal and as expected under the Rules at most of the places. The timeline of three years proposed for remediation in State of UP is against the mandate of law in terms of statutory provisions of Solid Waste Management Rules, 2016. The said timeline needs to be revised and legacy waste remediation needs to be commenced at the earliest so as to complete the same as per the statutory timeline of 07.04.2021."....

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में निकायों में विद्यमान लिगेसी वेस्ट के रेमेडिएशन हेतु केंद्र सरकार द्वारा प्रेषित प्रारूप के आधार पर प्राथमिकता के क्रम में प्रदेश की बड़ी निकायों यथा लगभग कुल 72 नगरीय निकायों के अनुमानित 84 लाख टन लिगेसी वेस्ट के वित्त पोषण हेतु (अनुमानित आगणन लगभग रू0 422.00 करोड़) का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जाने के विषयगत मा0 समिति का सैद्धांतिक अनुमोदन वांछित है।

निर्णयः– मा0 समिति द्वारा उपरोक्त कार्ययोजना के विषयगत सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुये यह अपेक्षा की गयी कि यथाशीघ्र इस विषय में केंद्र सरकार को समुचित प्रस्ताव प्रेषित करते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

नवीन प्रस्ताव से संबंधित एजेण्डा बिन्दु–3 (एफएसटीपी प्लांट के वित्त पोषण हेतु केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करना)

मा0 समिति के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि राज्य द्वारा शासनादेश संख्या 4571/नौ–5–2019–166सा/2019 दिनाँक 30.10.2019 के माध्यम से सेप्टेज मैनेजमेंट नीति लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत निकायों में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट हेतु एफएसटीपी प्लांट लागये जाने विषयक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले 96 निकायों में एफएसटीपी/को–ट्रीटमेंट संबंधित प्लांट अधिष्ठापन की परियोजना स्वीकृति का कार्य प्रगति पर है, परन्तु फीकल/सेप्टेज मैनेजमेंट संबंधित प्लांट की निकायों में आवश्यकता के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि यथासंभव आवश्यकतानुरूप अधिकाधिक निकायों में उक्त सुविधा विकसित की जाये।

स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों में ओडीएफ प्लस प्लस (ODF++) के मानकों को पूरा किये जाने हेतु एफएसटीपी प्लांट का अधिष्ठापन अनिवार्यतः आवश्यक है। अतएव, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के घटक के रूप में उपरोक्त कार्ययोजना को वित्त पोषित किये जाने हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध किये जाने के लिये प्रस्ताव प्रेषित किये जाने के बिन्दु पर मा0 समिति का अनुमोदन वांछित है। यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त के क्रम में आरम्भिक रूप से जो कार्य योजना तैयार की गयी है, उसमें प्राथमिकता के आधार पर ऐसे नगरीय निकायों को चयनित किया गया जो पल्यूटिंग रिवर स्ट्रेच के

अन्तर्गत वाटर क्वालिटी सुधार किये जाने संबंधी बनाये गये एक्शन प्लान से आच्छादित निकाय हैं, साथ ही साथ निकाय की जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए वर्तमान में प्रथम चरण के रूप में स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत 96 निकायों में कुल लगभग 1280 के0एल0डी0 की क्षमता के एफ0एस0टी0पी0 प्लांट अधिष्ठापित कराये जाने विषयक कार्ययोजना को केन्द्र सरकार को प्रेषित किये जाने वाले संबंधी प्रस्ताव पर मा0 समिति का सैद्धान्तिक अनुमोदन वांछित है।

निर्णयः– मा0 समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सैद्धांतिक रूप से सहमति दी गयी और यह निर्देशित किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) अन्तर्गत वित्त पोषण किये जाने की दशा में यथाशीघ्र उपरोक्त परियोजना पर कार्य सुनिश्चित करते हुये राज्य में फीकल स्लज एवं सेप्टेज मैनेजमेंट के लिये सतत रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

अन्य बिन्दुः–

मा0 समिति द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि आगामी बैठकों में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित निर्णयों की प्रगति पर भी विभाग द्वारा प्रस्तुतीकरण किया जाये और साथ ही स्वच्छता के मानदंडों एवं स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों के विषयगत जिलाधिकारीगण के साथ मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर होने वाली वीडियो कांफ्रेसिंग के अनुश्रवण में यथावश्यक बिन्दुओं को समाहित कर रिव्यू के लिये प्रस्तुत किया जाये।

उपरोक्तानुसार हुए विचार–विमर्श तथा संस्तुति/निर्णय के पश्चात बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या– 5964 /नौ–5–2020–353सा/2014
लखनऊः:दिनांक 27 नवम्बर, 2020

प्रतिलिपिः–समस्त संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सम्बन्धित अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
2– मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) उ.प्र.।
3– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
4– निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ.प्र.।
5– बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारी।
6– कम्प्यूटर सेल–नगर विकास अनुभाग–5 की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(डा0 इन्द्रमणि त्रिपाठी)
विशेष सचिव 27/11/20